बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

।। आदेश ।।

अवैध खनन से संबंधित प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक–19.05.2025 को विभागीय जाँच टीम, खनिज विकास पदाधिकारी, दरभंगा एवं श्री आशीष प्रकाश, खान निरीक्षक, दरभंगा द्वारा संयुक्त रूप से दरभंगा जिलान्तर्गत प्रखंड– बेनीपुर, पंचायत+ग्राम–पोहद्दी स्थित नन्नी चौर में छापामारी में 02 जे0सी0बी0 द्वारा अवैध खनन करता हुआ पाया गया। उक्त जे0सी0बी0 में से 01 जे0सी0बी0 को विशेष कार्य पदाधिकारी द्वारा पकड़ा गया जबकि 01 जे0सी0बी0 जिसका पीछा खनिज विकास पदाधिकारी एवं खान निरीक्षक द्वारा किया गया उसे नहीं पकड़ा गया। अवैध खनन में संलिप्त जे0सी0बी0 को पकड़ने में खान निरीक्षक द्वारा शिथिलता बरती गयी। श्री आशीष प्रकाश का यह कृत्य अवैध खनन के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई नहीं करने, कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित होता है।

2. श्री आशीष प्रकाश, खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, दरभंगा के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–4109, दिनांक–30.07.2025 से आरोप पत्र में अंकित अवचार पर लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

3. श्री आशीष प्रकाश, खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, दरभंगा द्वारा दिनांक–15.08.2025 को लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। श्री आशीष प्रकाश से प्राप्त लिखित अभिकथन में अपने बचाव बयान जो भी तर्क दिये गये हैं उसकी समीक्षा सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई। समीक्षा के क्रम में श्री आशीष प्रकाश द्वारा जे0सी0बी0 को नहीं पकड़ने एवं अवैध खनन के विरूद्ध प्रभावी कदम नहीं उठाने से संबंधित आरोप के संदर्भ में जो भी तर्क एवं साक्ष्य दिये गये है वे तथ्यात्मक नहीं है। इस स्थिति में श्री आशीष प्रकाश, खान निरीक्षक का लिखित अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। श्री आशीष प्रकाश प्रथम दृष्टतया दोषी प्रतीत होते हैं। श्री आशीष प्रकाश के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को देखते हुए इसकी जाँच की आवश्यकता प्रतीत होती है।

4. अतएव श्री आशीष प्रकाश के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी **अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, दरभंगा तथा** प्रस्तुतीकरण/उपस्थापन पदाधिकारी, **खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, दरभंगा** को नियुक्त किया जाता है।

5. श्री आशीष प्रकाश से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना बचाव/पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखेंगे एवं जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

6. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नकः–आरोप पत्र साक्ष्य सहित (संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं श्री आशीष प्रकाश हेतु)

ह0/–
(भारत भूषण प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव।

P.T.O.

Sanj/bach/karyalaya adesh

ज्ञापांक–प्र0–II–अरा0(आ0)–13 / 2025–................. / एम0, पटना, दिनांक...........................

प्रतिलिपिः– **अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, दरभंगा,**–सह–संचालन पदाधिकारी / **खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, दरभंगा**–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी / श्री आशीष प्रकाश, खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संचालन पदाधिकारी से अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही का निष्पादन कर जाँच प्रतिवेदन (मंतव्य सहित) विभाग को शीघ्र भेजना सुनिश्चित करेंगे।

ह0 / –

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– प्र0–II–अरा0(आ0)–13 / 2025–................. / एम0, पटना, दिनांक.......................

प्रतिलिपिः– प्रमण्डलीय आयुक्त, दरभंगा / जिला पदाधिकारी, दरभंगा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– प्र0–II–अरा0(आ0)–13 / 2025–................. / एम0, पटना, दिनांक.......................

प्रतिलिपिः– जिला कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– प्र0–II–अरा0(आ0)–13 / 2025–................. / एम0, पटना, दिनांक.......................

प्रतिलिपिः– उप निदेशक, अंचल कार्यालय, दरभंगा / खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– प्र0–II–अरा0(आ0)–13 / 2025–5164 / एम0, पटना, दिनांक 16/09/25

प्रतिलिपिः– माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक कोषांग / अपर सचिव कोषांग / मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी / आई0टी0 मैनेजर, (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ प्रेषित।

15/9/25

सरकार के अपर सचिव

15.9.25

Sanj/bech/karyalaya adesh